ISSN No. : 2394-0344 **REMARKING :** VOL-1 * ISSUE-5*October-2014

आदिवासी नारीवाद – एक समाजशास्त्रीय दृष्टीकोन

रोहिणी यु.देशमुख
पीएच.डी.स्टूडेन्ट
समाजशास्त्र विभाग, सं. गा. बा.
अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.

सारांश

इ. स. 1970 से नारीवाद भारत मे प्रस्थापित होकर, साल 1981 में मुंबई के एस. एन. डी. टी. में महिला अभ्यास के लिए राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हुआ। इस विषय पर परिषद में प्रचंड विरोध होने पर महिलाओं को भी पुरुष बराबर शिक्षा मिलने की मांग को अनुमती दी गई। नारीवाद यह आधुनिक काल में प्रचलित एक संकल्पना है। 1975 यह साल जागतिक 'महिला वर्ष' घोषीत होने के कारण नारी यह विषय चर्चा में आकर अनेक नारीवादी दृष्टिकोन का निर्माण हुआ। मेलघाट में वास्तव करने वाली आदिवासी महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करते हुए अनुसंधानकर्ती ने 'आदिवासी नारीवाद' को प्रस्तूत किया है। मेलघाट के आदिवासी समाज में लिंगभाव, महिला अज्ञानता अधिक होने से उनका जिवन समस्याओं से पिडीत है। आदिवासी महिलाओं के द्वारा जंगलोका संवर्धन एंव सुरक्षा की जाती है, लेकीन दुसरी तरफ पुरुष वर्ग जंगलोकी कटाई करते हमेशा ही पर्यावरन को हानी पहुचाता, लेकिन इसका परिणाम पृथ्विपर रहनेवाले सभी मानव जातीयों को भूगताना पड़ रहा है। आदिवासी महिला अपनी पारिवारिक जिम्मेदारिया निभाकर पुरुष के बराबरी में काम करती है। और घर को सँभालते धन प्राप्ती में सहयोग देती है। लेकिन इस आदिवासी पुरुषकेंद्रित संस्कृती में महिलाओं को दिया जानेवाला दर्जा पुरुष तुलना में दुय्यम है। इतनाही नही उन के सांस्कृतिक जीवन और त्यौहारो में भी महिलाओं का स्थान निम्न स्तर का दिखाई पडता है। आदिवासी महिलाओं की अज्ञान, निरक्षरता एंव अंधश्रद्धा के कारन राजनितिक जीवनमें भी यही स्थिती है। आदिवासी जनजाती पंचायती में महिलाओं का सहभाग बहुत ही कम होने के कारन उन्हे अपना मत व्यक्त करने की स्वंतत्रता भी नही मिलती। स्थानिक स्वराज्य संस्था में अत्यंत कम संख्या में आदिवासी महिला अपना प्रतिनिधीत्व करते हुए अपने पती के हात के रबर सिक्कों की तरह इस्तेमाल किए जाते है। अपने मन से मतदान करके अपना प्रतिनिधी चुनने का हक जैसे पुरुष ने उन से छिन लिया है। यह स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ता है।

प्रस्तुत अध्ययन मे प्राथमिक और द्वितीय पद्धती एवं नए तंत्रो का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक, निदानात्मक संशोधन तालिकाओं का उपयोग किया गया है।

नारिवादी दृष्टिकोन से देखा जाये तो मेलघाट में रहनेवाली अधिकतम आदिवासी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ और राजनैतिक दर्जा पुरुष की तुलना मे निम्न स्तर का है।

मुख्य शब्द : नारिवाद, लिंगभाव, आदिवासी, विधवा, विधुर, गोदना, पुरुषकेंद्रित, जमात पंचायत, महिला वर्ष,आंदोलन, अज्ञान, शोषन, स्वास्थ, दर्जा.

प्रस्तावना

नारीवाद यह समाजशास्त्र का एक महत्वपुर्ण अंग है। इस दृष्टिकोन से महिलाओं के अध्ययन को एक दिशा मिलती है। अनुसंधानकर्ती समाजशास्त्र विषय की विद्यार्थी होने पर और वह स्वयं मेलघाट में वास्तवित होने पर उस ने आदिवासी नारीवाद अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के दृष्टिकोन से विचार प्रस्तूत करणे पर विश्व एवं भारत के कुछ क्षेत्रो मे आदिवासी महिलाओं का अध्ययन करने वालो को यह नारीवादी दृष्टिकोन कुछ उचित प्रमाण में एक मार्गदर्शक रहेंगा। सामाजिक विज्ञान के उपलब्ध साहित्य में अनुसंधानकर्ती को आदिवासी नारीवाद कही भी उपलब्ध नही पाया गया। इसिलिए आदिवासी नारीवाद दृष्टिकोन प्रस्तूत करना महत्वपुर्ण है।

नारीवाद यह आधुनिक काल में अस्तित्व में रहने वाली एक अत्यंत महत्वपुर्ण परिभाषा है। आज के आधुनिक युग में जब कोई परिभाषा का निर्माण होता है, तो वह विशिष्ट क्षेत्रो में या सिमाओं में मर्यादित न रहकर जल्द ही संपुर्ण विश्व में फैल जाती है। कारण विश्व आज आधुनिक एवं यांत्रिक होने पर घर–आंगण हो चुका है। विदेशो में यह आंदोलनो कि शुरुवात 17 वी शताब्दी

में ही हुई थी। 1975 यह महिला वर्ष घोषित होने के लिए अनेक शतको से प्रयत्न किए गए। इसके फल स्वरुप हि 'नारीवाद', 'नारीवादी सोच' यह संज्ञा निरंतर विकसित रही।[1]

जिस तरह मनुष्य, धर्म, संसकृती, प्रशासन इन संज्ञाओं में परिवर्तन हुवा उसी तरह नारी यह समाज के महत्वपुर्ण घटक में भी परिवर्तन हुवा है। प्रस्थापित समाज बंधन का स्वरुप और उस मे नारी का निर्माण हुवा अंतर इस में स्वयं का विचार सतर्कता से जब स्वयं नारी ही करणे लगी, तब मुल रुप से 'नारीवाद' निर्मान हुवा।[2] लंडन, फ्रान्स, अमेरिका, कॅनडा, ॲफ्रिका इन पाश्चात्य युरोपीयन समाज में नारी हक के लिए आंदोलन हुए। और इस आंदोलनोसे नारीवादी संकल्पना आगे आयी। हजारो वर्ष से चार दिवारो के अंदर और पुरुषो के दबाव तले रहते आनेवाली अबला इसे अब उसके अस्थित्व कि पहचान होने लगी। इसमे मेरी वुलस्टोन क्राफ्ट इस लेखिकाने 'द व्हिडिकेशन ऑफ विमेन' यह नारी हक को समर्थन करनेवाला किताब 1792 मे प्रकाशित किया। यह किताब नारीवाद की शुरवात करनेवाली किताब है।[3] 1869 साल में जॉन स्टूअर्ट मिल ने नारी मतदान कि मांग की। अमेरीका मे गुलामगिरी विरोधी आंदोलनों में एलिझाबेथ कॅन्डी, ॲन्थनी इस आंदोलनो के प्रणेते थे।[4]

1960 के आगे आए हुए प्रमुख विचार प्रणाली में जागतिक शांती, खुला आर्थिक धोरण, सबाल्टन स्टडी, नारीवाद यह महत्वपुर्ण विचार धाराए है। शुरवात में नारीसत्ता का पुरस्कार याने 'नारीवाद', शादी न करते हुए अनिर्बंध वर्तन को मान्यता याने 'नारीवाद' इस अर्थ से नारीवाद को मान्यता प्राप्त हुई थी। पर उसकी जगह आज और भी गंभिरतासे ली गई ऐसा दिखाई पडता है। अर्थ में इस वास्तव से नारीवाद कि एक जीवित ऐसी सामाजिक प्रक्रिया स्पष्ट होने लगी है।[5]जागतिक नारीवादी आंदोलनो में से नारीवादी विचार धाराओं का विकास हुवा। और इस नारीवादी विचार धाराओं ने संशोधन और आंदोलनो को योग्य राह दिखाई है।

नारीवादी दृष्टिकोन / विचार धारा

समकालिन महिला आंदोलनो में विविध दृष्टिकोन दिखाई देते है। विविध नारीवादी अध्ययनकर्ताओं ने विविध विचार धाराओं का लिखान किया है। उसमें उदारवादी दृष्टिकोन, अभिजात मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोन, जहाल नारीवाद, समाजवादी नारीवाद[6], उत्तर आधुनिक नारीवाद[7] आदी विचार धाराऐ है।

भारतीय नारीवाद

विदेशी समाज में नारी ने खुद के स्वतंत्र अस्मिता के लिए चलाऐ गए उपक्रम भारतीय नारीओं के सामने आए और उससे प्रभावित होकर यहाँ भी नारी–जीवन का सर्वांगीन अध्ययन होना जरुरी है, यह विचार सामने आया। हमें भारतीय नारी–जीवन का इतिहास देखनेपर कैकयी, सुमित्रा, सीता, द्रौपदी, सावित्री, महालक्ष्मी, दुर्गा, काली, गार्गी, मैत्रेयी, उसी प्रकार जिजामाता, ताराबाई, रमाबाई, राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई, रजिया सुलताना, मुक्ताबाई, जनाबाई आदी और इस से भी अधीक नारी रुप हम आगे ला सकते है। वास्तव में महिषासुरमर्दिनी, काली यह देवी याने भारतीय नारीवाद में जहाल नारीवाद को प्रेरित रहनेवाली शक्ती स्त्रोत है।[8]इ.स. 1970 से नारीवाद भारत मे प्रस्थापीत हुआ। 1981 साल मुंबई के एस. एन. डी. टी. मे महिला अभ्यास के लिए राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हुआ। इस विषय के लिए परिषद मे प्रचंड विरोध हुआ। परंतु महिलाओं को भी पुरुषो के बराबर शिक्षा ग्रहन करणे की मांग को अनुमती दी गई। भारतीय नारीओं का सर्वांगीन अध्ययन करने हेतू गरीब महिला, दलित महिला, आदिवासी महिला इनपर संशोधनकर्ताओं ने ध्यान केंद्रीत करना उतनाही जरुरी है। ऐसा निर्देशीत किया गया। डॉ. वीणा मुजुमदार और कुमुदिनी भंसाली इन्होने भी बड़ी मात्रा में नारीवाद का सन्मान किया। ताराबाई शिंदे इन्होने 1882 साल में 'स्त्री पुरुष तुलना' इस लेख में नारीवादी समिक्षा साकारी। उसी प्रकार से अश्विनी धोंगडे, प्रतिभा कणेकर, पुष्पा भावे, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके, मंगला वरखेडे, माया पंडित, विद्युत भागवत, शर्मिला रेगे, छाया दातार, वंदना शिवा, कुमकूम सांगारी, वीणा अग्रवाल, विद्युत जोशी, वीणा दास आदी नारीवादीओं ने प्रमुखता से मराठी समिक्षा विश्व को अंग्रेजी नारीवादी समिक्षा पद्धत्ती के स्वरुप का अनुभव दिया। उसी प्रकार पर्यावरणीय नारीवादी मेधा पाटकर सामाजिक कार्यकर्ती रजिया सुलताना(अमरावती), सिंधुताई सपकाळ (चिखलदरा) ऐसी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम भी उतनेही महत्वपुर्ण है।

राजकिय क्षेत्र में नारी को दिया गया आरक्षण यह नारीवादी विचार कि ही देन है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इनके प्रस्तूत 'हिन्दू कोडबिल' के कारन भारतीय नारी को विशेषत गरीब, दलित और आदिवासी नारीओं को सुविधा एवं छुट मिली है। यह हिन्दू कोडबिल के कारन भारतीय सविधान में नारी विचार, महिला आंदोलन, नारीवादी दृष्टिकोन को प्रोत्साहन और दिशा मिल रही है। नारी को प्राप्त हुए आरक्षन से एक तरफ नारी आज विविध क्षेत्र में शिक्षा लेकर नोकरीओं में सहयोग दे रही है। लेकिन दुसरी और विचार किया जाए तो इस काम(नोकरी) की जगह पर नारीओं का बढी मात्रा में आर्थिक, लैंगिक शोषण हो रहा है। असंघटीत क्षेत्र में काम करनेवाली महिला को दिया जानेवाला मुहाब्जा पुरुषो की तुलना में कम मिलता है। नारी अगर शासकिय नोकर है, तो वहा भी उसे उसके सहयोगी, अधिकारीओं से कभी कभी शोषीत होने कि घटनाऐ सुनाई पड़ती है, यह बात अगर सामने आयी तो बदनामी होकर अपनी नौकरी पर भी आँच आऐंगी इस डर के कारन यह महिला अत्याचार को चुपचाप से सह लेती है। याने नौकरी, काम में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बावजूद भी उनपर होने वाले अन्याय–अत्याचार खत्म न होकर दिन बढ़ दिन बढ़ते जाकर उन्हें लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समस्यांओं का सामना करना पड रहा है।

आदिवासी नारीवाद दृष्टिकोन से देखा जाये तो सिर्फ आदिवासी नारीपर ही अन्याय–अत्याचार और विविध जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं। तो समाज में

विविध स्तरपर जैसे उच्चवर्ग में कि महिला, मध्यमवर्गीय महिला, दलित महिला, इन विषयोपर भी विचार प्रकट होना जरुरी है। केवल गरिब आदिवासी एवं दलित आदिवासी महिलाओं पर ही अन्याय–अत्याचार होते है, और समाज मे उच्च समझनेवाले उच्चवर्णीय महिलाओं पर अन्याय–अत्याचार नही होते, ऐसा कदापी नही है। समाज के विविध स्तर पर महिलाओं का शोषण होता है। मात्र उसका स्वरुप और स्तर अलग–अलग है। क्यो की नारीवादी विचार और दृष्टिकोन यह पुरुषकेंद्रीत समाज के निशानेपर है। नारीवादी अध्ययनकर्ताओं ने विविध स्तरपर विचार कर के नारीवाद कि रचना कि है। कुछ अध्ययनकर्ता शास्त्रीय बुद्धीवादी दृष्टिकोन से विचार प्रकट करते है। तो कुछ समाजवादी कार्यकर्तीया जैसे मेधा पाटकर (पर्यावरणवादी), अमरावती शहरा की, रजिया सुलताना, चिखलदरा से सिंधूताई सपकाल ये और ऐसी अनेक समाजसेविका प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर संघर्ष करके नारीवादी विचार प्रस्तापीत करते है। यह सभी महिला बुद्धीजीवी होकर स्वयं अपने–अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष महिलाओं को मिलकर उनकी समस्यायें समझकर संघर्ष करते है। कभी–कभी ऐसी कार्यकर्ताओं को अपराधी मानकर कायदे के अनुरुप कारवाही का सामना करना पडता है। संपुर्ण भारतभर जहा आदिवासी क्षेत्र है, वहा महिला सामाजिक कार्यकर्ताऐ रहती है। उनमें नारीवादी विचार है, यह विचार धारा उनके पास है, वह समाजकार्य भी करती है।

अनुसंधान पद्धत्ती

प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिल्हे में मेलघाट इस क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले धारणी और चिखलदरा इन दो तालुका की आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर आधारीत है। इसमे गैरसंभाव्यता नमुना निवड (Non Probability Smpling) पद्धत्ती में उपपद्धत सहेतुक (Purposive Sampling) पद्धती का उपयोग कर के नमुना चुना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एंव द्वितीय पद्धत्ती और तंत्र का उपयोग करनेपर वर्णनात्मक और निदानात्मक अनुसंधान रुपरेखा का उपयोग किया गया है।

आदिवासी नारीवाद

पर्यावरण आंदोलनो के चलते नारीवादी आंदोलनो में भी विभिन्न परिप्रेक्षमेंसे भिन्न विचार धाराओं के आधार पर आगे आने वाला प्रवाह है। इसमे अनुपमा मिश्रा, सुंदरलाल बहुगुना, राधा भट, मेधा पाटकर आदि नारीवादीओं ने औद्योगिक विकास के पाश्चिमात्य प्रारुप को नकारा जाऐ, ऐसी भुमिका ली। निसर्ग जिस प्रकार शोषित हे, उसी प्रकार नारी भी शोषित है। औद्योगिकरण के पिछे पडे हुऐ पाश्चिमी जग मात्र निसर्ग के शोषन पर उभारा गया है।[9] वंदना शिवा जैसे पर्यावरणवादी नारीवादीओं ने नारी के जैविक भिन्नता को महत्व देकर नारी का निसर्ग से रहनेवाला नाता मुलत विशिष्ट प्रकारका रहता है। ऐसा कहा है।[10] आजतक आदिवासींओं का इतिहास देखा गया तो यह जनजाती जंगल मे भटककर फलमुल, शिकार, जंगलजात वस्तू इकट्ठा करके अपना गुजारा करते दिखाई देती है। जंगल मे से लकड़ी जमा करना, मोह, चारोली आदि वस्तू इकट्ठा करना इत्यादी कष्टभरे काम पुरुषवर्ग करते थे।[11] और अभी भी करते है। महिला हलका काम करती जैसे फल इकट्ठा करना, सुकी लकडी जमा करणा, गोंद आदि. किंतू जंगल से पेडों कों काटकर लक्कड कटाई और ठेकेदारोतक बेचनेका काम पुरष ही करते है। इसीलिए पर्यावरन को धोका निर्माण होता है। पर पुरुष वर्ग को अपना घर संसार चलाने के लिऐ यह काम करना अनीवार्य हो जाता है। क्यो की, इस दुर्गम क्षेत्र में रोजगार का अभाव है, खेती होकर भी उपजावु जमिन बहुती कम है। उसमे भी खेती छोटी–छोटी तुकडो में बटी होकर इसमेंसे बहुत ही कम फसल मिलता है। जो कि संसार का रथ चलाने के लिये काफी नही है। इसीलीऐ जंगल में होनेवाली कटाई और इससे पर्यावरण का बिघडता हुवा संतुलन यह एक बडी समस्या बन गई है। लेकिन अब जंगल सुरक्षित होने के कारन आदिवासींओं का पहले जो हक था, जो संस्कृती थी, उनकी सभी आवश्यकताए जंगलजात संपत्तीसे प्राप्त करते थे। उसपर सरकारने सक्त पाबंदीया लगाई है।

जंगल का संवर्धन और सुरक्षा करणे का काम जैसे झाड लगाना, उनका जतन करना, देखभाल करणा, पानी देना आदी. काम महिला वर्ग ही करते हुऐ दिखायी पडती है। मात्र पुरुष वर्ग अधिकतम यह काम नही करते। सामाजिक और सांस्कृतिक रुप से देखा जाए तो मेलघाट में आदिवासी महिलाओं का दर्जा यह पुरुष के तुलना में निचले स्तर का है, यह ध्यान में आता है। सभेरेसे लेकर रात तक अपने संसार के प्रती जिनेवाली महिलाओं का स्थान निम्न स्तर का ही है। घर बांधने के लिऐ आवश्यक वस्तू जैसे गोबर, मीट्टी, भुसा, बांबु महिलाओं को लाना पडता है। पुरुष केवल घर बनाते समय छप्पर डालना, लकडी गाडणा आदी. काम मे मदत करता है। किंतू घर में झाडु लगाना, लेपना, उसकी समय–समय पर मरम्मत करना यह सभी काम महिला ही करती आ रही है, मात्र घर बांधने का काम पुरा होने के पच्छात उस घर कि पुजा करणे हेतू पुरुषवर्ग को ही स्थान प्राप्त है। मंदिर का निर्माण करते समय महिला कामगार भारी संख्या में काम तो करती है, मात्र मंदिर प्रवेश को पुरुषवर्ग को हि प्राथमिकता दी जाती है। पारंपारिक धर्म प्रभाव और धर्म को महत्वपुर्ण घटक मानने से यह कार्य पुरुषवर्ग ने हि करणा चाहिऐ ऐसा पुरुषकेंद्रीत समाज ने ठराया हुवा मानक है। इस तरह कि स्थिती मेलघाट में आदिवासीओं का संशोधन करते दिखाई पडी। मेलघाट में महिलाओं को मासिक पाळी, प्रसुती के काल में अपवित्र मानने कारण उन्हे पुर्जा–अर्चा करना तो दुर घर में सब के साथ रहने को भी मनाई होते हुये दिखाई पड़ता है। आर. एस. मन और के. मन (2008) कहते है कि, दमोर आदिवासी महिलाओं के प्रसुती बाद 10–12 दिन होते हि उसे उसका कमरा और कपडे खुदी को हि धोना पड़ता है, इस अवधी में उसे उसके पती के कमरेसे और घर के इतर सदस्यो से दुर हि रहना पड़ता है। जब उसे पती के मानसिक आधार की जरुरत रहती है, इस काल में नारी के शरीर से दुर्गंध आता है, ऐसे स्थिती में मात्र पती उससे दुर रहना ही पसंद करता है, कारण यह कालावधी नारी के लिये अपवित्र और दूषित माना जाता है। इतर समय मात्र अपने स्वार्थ के लिये पती अपने पत्नी को पास रखता है। मेलघाट में स्थित आदिवासीओं में भि महिलाओं को मासिक पाली के पाच दिन और प्रसूती के काल में घर के

एखादे कोने में रखा जाता है। केवल आदिवासी महिला ही नही, तो सभी समाज के इतर उच्च जाती, मध्यमवर्गीय और दलित इन महिलाओं से भि ऐसा हि बर्ताव किया जाता है। यहा आदिवासी समाज पर हिंन्दु धर्म का प्रभाव दिखाई पडता है। घर में बिजली न होने के कारण रात समय पर मिट्टी के तेल का दिया जलाकर महिला चुलेपर खाना पकाना, बर्तन मांजना आदि कार्य करती है, लेकिन मिट्टि के दिये से निकलनेवाला विषारी वायु महिला और छोटे–छोटे बालको के स्वास्थपर घातक परिणाम करता है।

आदिवासी समाज में सांस्कृतिक त्यौहारों आदि को बहुत ही महत्व है। अपने सांस्कृतिक त्यौहारों के मुल्य आज भी आदिवासी संभाले हुऐ है। आदिवासी समाज में मनाऐ जानेवाले सभी त्यौहार में आदिवासी महिलाओं का सहभाग होते हुऐ भि पुजा–अर्चा करणे कि प्राथमिकता पुरुषवर्ग को हि दि गई है। इसके चलते आदिवासी समाज में महिलाओं का स्तर निचले स्वरुप का दिखायी पडता है। अनुसंधानकर्तीगुरुवार दि. 05 सप्टेंबर 2013 को मेलघाट के चिखलदरा तालुका स्थित मटकी गाव में आदिवासीओं का 'पोला' इस त्यौहार का अध्ययन करते समय एक भी आदिवासी महिला 'पोला' भरणेवाले मैदान में दिखायी नही दी। इस बारे में मटकी गाव के श्री. रुपलाल बरपुराव बेलसरे इनके संग वार्तालाप करते समय उन्होने कहा की, ''हमारे समाज में महिला पोले के समय इस जगहपर नही आती। वह अपने घरके सामने खडे रहकर देखते है। '' मतलब साफ है, की आदिवासी महिला सण और त्यौहारो कि घर कि सभी कार्य पुरा करती है किंतू उन त्यौहारो का आनंद वे खुली रुप से नही ले सकती। इसिलीऐ आदिवासी महिलाओं को अपणे सांस्कृतिक जीवन में भी स्वतंत्रता नही दिखायी पडती। शरिरपर गोदना यह आदिवासी महिलाओं का शुंगार माना जाता है। के. व्ही. बऱ्हाडे कहते हे की, महिलाओं को अपने शरीरपर गोंदना अनिवार्य होता है, ऐसा न होनेपर उस महिला को अपवित्र मानते है।[12] जागतिक स्तर पे आफ्रिकियन आदिवासी महिलाओं को भी गोदना यह अनिवार्य बात है।[13] मेलघाट के आदिवासी महिलाओं का संशोधन करते समय इकट्टा किये गऐ तथ्यो से 100 प्रतिशत महिलाऐ यह अपने शरीर पर गोदन करती है। शरीरपर गोदते समय होने वाली तकलिफ संस्किृती के चलते आदिवासी महिलाऐ चुपचाप से सह लेती है। ऐसा न होने पर आदिवासी महिलाओं कि पुजा पावन नही होती ऐसा मानना है। लेकिन आदिवासी पुरुष वर्ग को गोदन अनिवार्य नही है। ये हमे निचे दिये गये तालिका में स्पष्ट रुपसे दिखाई पड़ता है।

(सारणी क्र.01)

जनजाती निहाय गोंदण करणे हेतु लिंग दर्शक तालिका

अ.क्र.	जमात / सहभाग	कोरकू	ख्रिश्चन कोरकू	निहाल	गोंड	भिल्ल	एकूण
1	होय	18 81.81% 3.94%	01 4.54% 12.5%	–	02 9.09% 6.89%	01 4.54% 9.09%	22 4.35%
2	नाही	438 90.68% 96.05%	07 1.44% 87.5%	01 0.20% 100%	27 5.59% 93.10%	10 9.09% 0.20%	483 95.64%
एकूण		456 90.29%	08 1.58%	01 10.19%	29 5.74%	11 2.17%	505 100%

(टिप– उपरोक्त तालिका मे दी गए प्रतिशत प्रमाण यह साल 2009 से 2013 के मेलघाट संशोधन में संग्रहीत किये हुए तथ्यो पर आधारीत है।.)

उपरोक्त तालिका से ध्यान में आता है की, मेलघाट मे 100 आदिवासी महिलाऐ अपने शरीर पर गोदन करती है। मात्र पुरुषो का अपने शरीरपर गोदने का प्रमाण बहुत ही कम 17.02 है। यह महिलाऐ हात पर अपने पती का नाम, कुल चिन्ह, कुल प्रतिक गोदती है। हात पर पती का नाम गोदवाने से वो एक मानसिक नियंत्रन में रहनेसे दुसरे पुरुष के बारे में नही सोच सकती। इस प्रकार महिलाओं के लिये यह एक प्रकार का बंधन हि है। पती का निधन होने पर विधवा को अपने शरीर पर एक भी अलंकार परिधान करने को समाज मान्यता नही देता। तेरवी के पच्छात भी सुहागन जोडा जैसे मंगळसुत्र, कुंडल, चुडीया कुंमकूम नहीं लगा सकती। किंतु पत्नी के देहांत के पच्छात पुरुष विधुर होने की समाज में कोई भी पहचान नही दिखाई पडती। पती देहांत के बाद महिला के जीवन में कुछ भी बाकी नही रहता ऐसा समज हिंदू समाज जैसा ही आदिवासी समाज में प्रचलित है। याने पती जिवीत रहने तक ही पत्नी को सज–धजना, पुजा–अर्चा में सहयोग देने का स्वातंत्र्य है, लैकिन पती देहांत के पच्छात यह स्वातंत्र्य उससे छिनकर उसे एक विधवा महिला कहलाते उसे हिनता का बर्ताव किया जाता है, किंतु पुरुषवर्ग के बारे में इस प्रकार की भावना समाज में प्रचलित नही। पत्नी देहांत के तुरंत ही पुरुष का दुसरे विवाह के बारे में सोचना शुरु हो जाता है। आदिवासी समाज में विधवा विवाह को मान्यता होने पर भी विधवा का विवाह विधुर, गुंड वृत्तीवाला और वयस्क पुरुषोसे जोड दिया जाता है। यह हमे मेलघाट में किऐ गये संशोधन से प्राप्त हुऐ सामुग्रीसे पता चलता है।

(सारणी क्र.02)
जनजाती निहाय विधवा विवाह जोडीदार प्रकार दर्शक सारणी

अ.क्र.	जमात / पुरुष प्रकार	कोरकू	खिश्चन कोरकू	निहाल	गोंड	भिल्ल	एकूण
1	विधूर	389 92.84% 85.30%	04 0.95% 50%	01 0.23% 100%	20 4.77% 68.96%	05 1.19% 45.45%	419 82.97%
2	दीर	22 84.61% 4.82%	—	—	03 11.53% 10.34%	01 3.84% 9.09%	26 5.14%
3	विधूर व दीर	36 81.81% 7.89%	02 4.45% 25%	—	03 6.81% 10.34%	03 6.81% 27.27%	44 8.71%
4	अविवाहित	09 81.81% 1.97%	02 18.18% 25%	—	—	—	11 2.17%
5	गुंडप्रवृत्तीचा	—	—	—	03 60% 10.34%	02 40% 18.18%	05 0.99%
6	एकूण	456 90.29%	08 1.58%	01 0.19%	29 5.74%	11 2.17%	505 100%

(टिप– उपरोक्त तालिका मे दी गए प्रतिशत प्रमाण यह साल 2009 से 2013 के मेलघाट संशोधन में संग्रहीत किये हुए तथ्योपर आधारीत है।.)

उपरोक्त तालिका क्र. 02 से मेलघाट के कुल उत्तरदाती आदिवासी महिलाओं के अनुसार 82.97 प्रतिशत विधवा महिलाओं का विवाह विधुर पुरुषो के साथ करा दिया जाता है। पहिला विवाह होने के पच्छात आदिवासी समाज में इस विधवा महिला का मुल्य कम हो जाता है। ऐसे विवाह में जादा तर वधुमुल्य भी नही दिया जाता। मेलघाट में संशोधन के दरम्यान व्यष्टी अध्ययन किये हुऐ श्रीमती नमाय म्हतींग जांबेकर (जातकोरकू,उम्र 58, गाव–उकूपाटी,ता–धारणी) इनके साथ वार्तालाप करणे पर उन्होने काहा की, ''मेलघाट के कोरकु आदिवासी समाज में विधवा विवाह में वधुमुल्य नही दिया जाता। दिया गया, तो वह दिये गये पहिले वधुमुल्यसे आधा या उससे भि अधिक कम रहता है।'' विधुर पुरुष जाती को विवाह के लिऐ अविवाहित लडकी से विवाह होना ये कही नई बात नही, इसिका अर्थ लगता है कि विधुर पुरुषवर्ग अविवाहित लडकिके विवाह बंधन में बंध सकता है, लैकिन विधवा नारी अविवाहित पुरुष के साथ विवाह बंधन में बंधी ऐसा बहुत हि कम दिखायी पडता है। इस के विपरीत देखा जाऐ तो विधवा का विवाह ये अधिकतम विधुर, गुंडवृत्तीवाले और बुजुर्ग व्यक्तीया से करवा दिया जाता है। जो की आदिवासी समाज में महिलाओ का स्तर निम्न स्तर दर्शाता है। ऐसा प्रतित होता है।

पुर्व मानवशास्त्रज्ञ और समाजशास्त्रज्ञ जैसे हॅमोडॉर्फ, हट्टन, हंटर एवं फिर्थ इन्होने आदिवासी समाज विवाह में मिलनेवाला वधुमुल्य, विधवा विवाह, पती चुननेका स्वातंत्र्य, इन सभी बातो के आधार पर आदिवासी महिलाओं का आदिवासी समाज में दर्जा उच्च प्रती का बताया है। किंतु यह वधुमुल्य पिता के घर के दो हात लडके के घर गऐ, इस कारन लडकी के परीवार का नुकसान हुवा इस हेतु नुकसान भरपाई के रुप लडकीवाले लडके के परिवार से वधुमुल्य लेते है। लडकी के ससुरालवाले कम–जादा (दो–तीन हजार) रुपये देकर लडकी को लडकी के परीवार वालोसे वस्तु के रुप खरीद ले आते है। हिन्दु समाज में दहेज पद्धत होने से ससुरालद्वारा लडकीपर हुऐ अत्याचार को कुछ अंश तक आवाज उठाती है, लेकिन आदिवासी समाज में ससुरालवालोने अपने माँ–बाप को दिये हुये वधुमुल्य के कारण लडकी अपने ससुराल वालो से होनेवाले अत्याचार के बारे मे शिकायत करते समय सोच में पडती है, और यही सोच समाजद्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को पणाह देती है। जो की महिलावर्ग के दृष्टिकोनसे यह अधिक घातक है।

साल 2001 के अमरावती जिल्हा आर्थिक समालोचन अहवाल के अनुसार मेंलघाट क्षेत्र के अंतर्गत धारणी और चिखलदरा इन दो तालुको में लिंगभाव का प्रमाण दर हजार पुरुष के पिछे अनुक्रम से 962, 968 है, जो की उन्नत समाज में भी निर्माण हुए लिंगभाव के समस्या से सम्मीलीत है। याने आदिवासी समाज में लिंगभाव होकर यह समस्या आदिवासी नारी के दर्जे पर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता है। धर्मराज सिंह कहते है की, आदिवासी समाज में लडकीओं को बचपन से ही घर, खेती, छोटे भाई–बहन की देखभाल करना आदि काम करना पडता है, जिसके चलते लडकीया अपनी पढाई सही तरहसे पुरी नही कर पाती।[14] मेलघाट में संशोध के दरम्यान लडकीओं को पडके क्या फायदा, आखिर उन्हे ससुराल ही तो जाना है। ऐसी विचार धाराऐ आदिवासी पालकवर्ग से सुनने मिलती है। मेलघाट संशोधन के अनुसार आदिवासी महिलाओं की अज्ञानता 18.23 प्रतिशत होकर यह प्रमाण पुरुष अज्ञानतासे जादा है। जिन आदिवासी महिलाओंने अपना प्राथमिक शिक्षण पुरा नही किया उनका प्रमाण 7.03 प्रतिशत होकर इन महिलाओं की तुलना अज्ञानतासे किया जाय तो गलत नही होंगा। दारीद्र, गरिबी, शिक्षण का अभाव इसके चलते छोटे उम्र मे ही आदिवासी लडकिया और महिलाओं को कष्टभरे काम करना पडता है। माँ–बाप के घर लड़किओं को कष्ट का सामना तो करनाही पड़ता है, लैकीन यही परिस्थिती ससुराल जानेपर भी नहीं छुटती। उसे अपने ससुराल में भी कभी

खालीपेट तो कभी दारु पिनेवाले अपने पती की मार सहकर दिनभर कष्ट सहकर अपना जीवन बिताती है।

ऐसा कहना है की, बिजधारना और प्रसूती का कार्य महिला ही अछी तरहसे कर सकती है। इसके चलते महिला के हात का बोया हुया बिज जादा उत्पादन देता है। किंतु आदिवासी समाज का आर्थिक दर्जा निम्न स्तर का है। महिलाओं को उनके काम के ठिकान पर शोषित जीवनजिना पड़ता है। खेत मजुरी रहो या बाहरगाव जाकर दुसरा कोई काम इन महिलाओं को पुरुषो के समान काम करनेपर भी पुरुष को मिलनेवाले मुहाब्जे से कम ही मुहाब्जा मिलता है। प्रसिद्ध नारीवादी कुमकुम सांगारी और उमा चक्रवती इनके विचार अनुरुप पुरुष मजुर को दिये जानेवाला मुहाब्जा महिला मजुर वर्ग से अधिक दिया जाता है। किंतु सर्वसामान्य ऐसा समज हो चला है की, पुरुष यह महिलासे जादा कार्यक्षम रहता है और वह महिलासे अधिक काम करता है। लेकिन पुरुषप्रधान संस्कृती ने गृहित किया हुवा एक समिकरण है।[15] संशोधन के दरम्यान मेलघाट में आदिवासी महिला खुद के और दुसरो के खेत में दिनभर काम करती। नांगरणी, बोनी, निदंना, फसल की निगरानी वह फसल निकलने तक लेती रहती है। मात्र फसल निकलनेपर धन–धान्य बैचने का अधिकार पुरुषकेंद्रीत समाजने जैसे पुरुषो को ही प्रधान किया लगता है। दिन–रात खेत में मैहनत करने के बावजूद भी आदिवासी महिला उनके ही महेनत के पैसो पर हक नही जता सकती।

मेलघाट में जिन आदिवासी के पास थोडी बहुत जोतने लायक खेती है वह लोग सब्जि उत्पादीत करते है लेकिन यह प्रमान अधिक नही। उत्पादीत की गयी सब्जी आदिवासी महिला बाजार में या तालुके के ठिकान घर–घर जाकर बैचते है। लैकीन इस से मिलनेवाले पैसे पर उनका पुरा हक्क नही बनता, उन्हे कुछ पैसे अपने पती को देने पडते है। किंतू खेत में उत्पादीत हुवा माल जैसे धन–धान्य बाजार में बेचने के लिऐ जादातर महिला दिखाई नही पडती। तब मात्र पुरुष खेत में से उत्पादीत किये गये धन–धान्य जैसे उत्पादी वस्तूओंपर अधिकार जताता है। आदिवासी समाज मे जादातर खेती, घर या इतर संपत्ती महिलाओं के नाम पर दिखाई नही पडती और दिखाई पडी भी तो उसका प्रमाण गिनती में लाने जैसा नही है। संपत्तीविषय की बातचित जैसे जमिन खरीदना, घर खरेदी अथवा कोई भी वस्तू खरीद ने हेतू महिला के साथ नाममात्र चर्चा की जाती है, असल में उस की किसी भी प्रकार की राय अधिकतम विचार में नहीं ली जाती। आदिवासी समाज में संपत्ती का अधिकार बहुतही कम महिलाओं को मिलते हुऐ दिखाई पड़ता है।

वैश्वीकरन के इस दौर में पर्यटको में जिस तरह वृद्धी होने की किमत पर्यावरण को चुकानी पड रही है। उसी तरह उसका मुहाब्जा नारी को भी भुगतना पड रहा है, और महिलाओं के लैंगिक शोषण की संभावना बढ रही है।[16] मेलघाट में आदिवासी महिलाओं को भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने हेतु स्थलांतरीत होना पडता है। आदिवासी कामगार जिस ठेकेदार के माध्यम से अलग–अलग जगहपर काम के लिऐ जाते है, वहा मालक, ठेकेदारो से ही कही बार महिलाओं का शारीरीक और लैगिक शोषण होते हुऐ कई वर्तमान पत्र में पढा जा सकता है।

आदिवासी समाज में महिला को गर्भ रहते, प्रचलित विविध अंधश्रद्धा के चलते उन्हे अस्पताल की सुविधाऐ भी नसीब नही होती, उनके खानपान पर भी निर्बंध लगाऐ जाते है। गर्भधारीत आदिवासी महिलाओं को गरीबी और दारीद्र के चलते किसी भी प्रकार का पोष्टिक आहार नही मिलता। प्रसिद्ध नारीवादी सुधा काळदाते इन्होने दारीद्र और उपासमार इन्हे महिला और बालकुपोषन के प्रमुख कारण माना है।[17] के. बी. नायक कहते है की, आदिवासी क्षेत्र में प्रसूती यह अंधेरी, मिट्टी के तेल का दिया जलाकर स्वास्थ के लिऐ हानीकारक ऐसे कमरे में अथवा झोपडी के भितर की जाती है।[18] आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ के बारे में मिनल कुलकर्णी कहते है की, आदिवासी क्षेत्र में प्रसूती यह पारंपारिक दायनी के साहारे और पारंपरिक पद्धतसे कि जानेसे संसर्ग बढता है। किंतु इसकी जानकारी न होने के कारन ऐसी पारंपरीक पद्धत्ती से प्रसुती होती रहती है।[19] आदिवासी महिलाओं में हस्पताल के प्रती डर, डॉक्टर जैसे पराया मर्द के हातो होनेवाला इलाज और समाज में प्रचलित अंधश्रद्धा के चलते यह महिला आधुनिक तंत्र उपचार और औषधीसे वंचित रहने से कही बार माता और उनके बच्चो की मौत का कारन बनते है। तो दुसरी ओर अपने पत्नी, बहु, माँ और बहन को पराया पुरुष (डॉक्टर) हात लगाऐगा इसके चलते भी महिलाओं को अस्पताल की सुविधाओं से वंचित रहना पडता है। यहा आदिवासी समाज में पडदा पद्धती की झलक दिखाई देती है।

आदिवासी महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक समस्याओं के चलते राजकिय व्यवस्था में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है। पुरुषकेंद्रीत आदिवासी जमात पंचायत में पुरुष ही अधिकतम सभासद दिखाई देते है। मात्र महिला को इस पुरुषकेंद्रीत जमात पंचायत में सभासदत्व स्वतंत्रा से नही रहता। या यह महिलाये पुरुष केंद्रीत समाज के दबावतले पिडीत है। यह हमे निचे दिये गये तालिका क्र. 03 पर से ध्यान में आता है।

(तालिका क्र.03)

जमातीनिहाय जमात पंचायत में महिलाओं का सहभाग दर्शक तालिका.

अ.क्र.	जमात / सहभाग	कोरकू	खिश्चन कोरकू	निहाल	गोंड	भिल्ल	एकूण
1	होय	18 81.81% 3.94%	01 4.54% 12.5%	–	02 9.09% 6.89%	01 4.54% 9.09%	22 4.35%
2	नाही	438 90.68% 96.05%	07 1.44% 87.5%	01 0.20% 100%	27 5.59% 93.10%	10 9.09% 0.20%	483 95.64%
एकूण		456 90.29%	08 1.58%	01 10.19%	29 5.74%	11 2.17%	505 100%

(टिप– उपरोक्त तालिका मे दी गए प्रतिशत प्रमाण यह साल 2009 से 2013 के मेलघाट संशोधन में संग्रहीत किये हुए तथ्योपर आधारीत है।.)

उपरोक्त तालिका क्र. 03 में कुल उत्तरदाती महिलाओं में से बहुतांश 95.64 प्रतिशत महिला इस पुरुषकेंद्रीत पारंपरिक जमात पंचायत में सहभाग को नकारती है। तो सिर्फ 4.35 प्रतिशत उत्तरदाती महिला यह

सहभाग लेते हुऐ दर्शाती है। कुछ जगहो पर तो आदिवासी जमात पंचायतद्वारा बुलाये गये सभा मे उसे उपस्थित रहनेका अधिकार भी नही दिया गया है। पती–पत्नी के आंतरिक झगडे जमात पंचायत में आने के बाद पुरुषकेंद्रीत जमात पंचायत का निर्णय महिलाओं का जमात पंचायत में प्रतिनिधित्व न रहने के कारण पुरुष वर्ग के हित में ही अधिकतम जाता है। पंचायत ने दिया हुवा फैसला सभी महिलाओं को मान्य रहता है ऐसा कदापी नही। धर्मराज सिंग कहते हे की, अरुणाचल प्रदेश में जो 'आदी' जमात रहती है, इस जमात में अगर किसी महिलाने व्यभिचारी बर्ताव किया तो पती उस महिलाके यौनी में मिर्च पावडर डालकर उसे दंडित किया जाता है। व्यभिचारी बर्ताव करनेवाले पुरुष को मात्र इसप्रकार दंडित नही किया जाता।[20] अनुसंधान के समय कु.जामवंतीबाई कास्देकर(गाव–उकुपाटी,ता. धारणी) इनसे वार्तालाप करते समय उन्होने कहा कि, 'हमे जात पंचायत के कुछ फैसले मंजूर नही रहते, लेकीन फैसले के खिलाफ हम कुछ भी बोल नही सकते। इससे हमे दंडित या समाज से बाहर करने का डर रहता है।'

स्थानिक स्वराज्य संस्था (राजनितिक क्षेत्र) में आज मेलघाट जैसे आदिवासी महिला के लिऐ 33 प्रतिशत जगह आरक्षित रहने कारण आदिवासी क्षेत्र में राजनैतिक तौर पर महिलाओं ने सभापती अथवा सरपंच का पद भुषित तो किया है, किंतू यह पद नाम मात्र कहा जाऐ तो गलत नही होंगा। महिला भुषित इन सभी पदो की आवश्यक कार्ये उनके पती या प्रतिष्ठीत पुरुष जाती से संबंधीत व्यक्ती के कहने पर ही कि जाती है। यह राजकिय महिला इन पुरुषो की कटपुतलीया बनकर रह गई है।[21] इस वास्तवता का मुल कारण महिलाओं का अज्ञान और निरक्षरता है। हर पती को दो मत है, एक खुद का और दुसरा उसके पत्नी का। पत्नी ने पती के मन से मतदान करणा चाहिऐ यह पती का आग्रह रहता है। यही परिस्थिती ने मेलघाट में रहनेवाली आदिवासी महिलाओं को भि जकड रखा है। उन्हे अपने मन से मतदान करने का स्वातंत्र्य भि इस पुरुषप्रधान समाज ने छिन कर उनको उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। वह महिलाऐ अपने पती या गाव के प्रतिष्ठीत नागरिक के कहने पर अपने मतदान का हक बजाते है।

मेलघाट के आदिवासी जमात में आज कुछ महिलाये पुरुषो के पिछे–पिछे हि सही लेकिन आंदोलनो में सहयोग दे रही है। आदिवासीओं के हित में शासकिय योजनाओं का फायदा कुछ गैरआदिवासी उठाते दिखाई देने के कारन आदिवासी युवा मंडळ अब जागृत होकर उनपर होनेवाले अन्याय को आवाज देने हेतु युवा आदिवासी (लडके–लडकिया) एकसंग होकर लढते नजर आने की घटनाए वर्तमान पत्रो से ज्ञान होती है।

निष्कर्ष

नारीवादी दृष्टिकोन से विचार किया जाए तो, उन्नत समाज के चलते बहुतांश आदिवासी समाज में भी पुरुषकेंद्रीत व्यवस्था होने से इस पुरुषकेंद्रीत व्यवस्था का परिणाम मेलघाट में आदिवासी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ और राजनैतिक दर्जा पुरुष के तुलना में निम्न स्वरुप का है, यह दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नाईक शोभा (2007) 'भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद, स्त्रीवादी समीक्षा आणि उपयोजना', प्रकाश विश्वासराव लोकवाङ्मय गृह, भूपेश गुप्ता भवन 85, सयनी रोड, प्रभादेवी मुंबई.जुन 2007, पृ.क्र.1
2. भागवत विद्युत (2004) 'स्त्री–प्रशा' ची वाटचाल, प्रतिमा प्रकाशन, 1362 सदाशिव पेठ, पुणे.
3. रेगे शर्मिला (1993) ''कास्ट ॲण्ड जेंडर दि व्हायोल. स अगेस्ट विमेन इन इंडिया'' अप्रकाशित पेपर.
4. धनागरे द.ना. (2005) 'संकल्पणाचे विश्व आणि सामाजिक वास्तव्य', प्रकाशक अरुण वी. पारगावकर, 1362, सदाशिव पेठ, नवा विष्णु मंदिर चौक, पुणे.
5. नाईक शोभा (2007) 'भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद, स्त्रीवादी समीक्षा आणि उपयोजना', पृ.क्र.7
6. भागवत विद्युत (2004) 'स्त्री–प्रश्ना' ची वाटचाल, पृ. क्र. 204–207
7. www.postmodernfeminisminWikipedia
8. शरयु बाळ (1963) 'भारतीय थोर स्त्रीया', शं. वा. दांडेकर प्रकाशन, पुणे, प्र. आवृत्ती. 1963 पृ.क्र. 84.
9. भागवत विद्युत (2004) 'स्त्री–प्रश्ना' ची वाटचाल, पृ. क्र. 362.
10. शिवा वंदना (1991) व्हायलस ऑफ द ग्रीन रिव्होल्यूशन इकॉलॉजिकल डिग्रेडेशन ॲण्ड पोलिटिकल व्हायलन्स इन पंजाब, लंडन, झेड बुक्स.
11. डिस्कव्हरी चेनल, नागा आदिवासी, दि. 29/5/2013 सायं. 6.30 वा.
12. बऱ्हाडे के. व्ही. (2007) 'कोरकू बोली वर्णनात्मक आणि समाजभाषा वैज्ञानिक अभ्यास', अप्रकाशित आचार्य पदवी प्रबंध, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
13. डिस्कव्हरी चेनल, ट्याबू, रात्री. 11.00 वा.
14. धर्मराज सिंह (1990) 'अरुणाचल की आदि जनजाती का समाज भाषिकी अध्ययन', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली. पृ.क्र. 57–58.
15. संगारी कुमकुम आणि चक्रवर्ती उमा (1999) 'फ्रॉम मिल्स टू मार्केट एसेज ऑन जेंडर', (संपा), इंडिया इ. स्टीट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीज सिमला/आणि म. नोहर दिल्ली, पृ. क्र. 93–95.
16. भागवत विद्युत (2004) 'स्त्री–प्रश्ना' ची वाटचाल, पृ. क्र. 367.
17. कालदाते सुधा (1981) 'वैद्यकीय समाजशास्त्र', नाथ प्रकाशा, औरंगाबाद. पृ. क्र. 118.
18. Nayak, K. B. (2012) : "MELGHAT SYNDROME", A Report of a Major Research Project Submitted to The UGC, New Delhi.
19. कुलकर्णी मिनल (2009) 'सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक स्त्रीचा अधिकार' , महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका, संपादक राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, येरवाडा, पुणे.
20. धर्मराज सिंह (1990) 'अरुणाचल की आदि जनजाती का समाजभाषिकी अध्ययन', पृष्ठ क्र. 72.
21. Nayak, K. B. (2012) : "MELGHAT SYNDROME", A Report of a Major Research Project Submitted to The UGC, New Delhi.
22. धर्माधिकारी तारा (2008) 'स्त्री विकासाचे नवे क्षितिज' संपादक, डॉ. स्वाती कर्वे, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे. पृष्ठ क्र. 178.
23. वर्तमान पत्र दै. सकाल 12 मार्च 2010, पा. क्र. 5, 'युवाक्रांती दलाचा अमरावती येथील जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या'